न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 152/2020
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर –2020/00194

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अर्जुनराम पुत्र रामस्वरूप राम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी देशवाल ग्राम पंचायत औलादन तहसील मेडता जिला नागौर, राज0		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) रामावतार पूनिया ।

निर्णय दिनांक–15-06-2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 66/2020 राज0 सरकार बनाम अर्जुनराम उ.मू.दु.देशवाल में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2020 के विरूद्ध यह अपील एवं मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश की है, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मनमर्जी से गलत रूप से प्राधिकार पत्र निरस्त करने व डीलर द्वारा जमा करवाई गयी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 26.06.2020 को अपीलांट/डीलर को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया। प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विधिक कार्यवाही की थी और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 5323/2020 जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर पक्षकार है, उस याचिका में निर्णय दिनांक 08.10.2020 को पारित कि प्रकरण में तुरन्त सुनवाई कर निर्णय करने के संबंध में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध तुरन्त वर्तमान अपील पेश करने के लिए अपीलांट ने दिनांक 12.10.2020 को प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया लेकिन प्रमाणित प्रति दिनांक 23.10.2020 को सांय तक प्राप्त हुई तत्पश्चात् दिनांक 24 व 25.10.2020 को सरकारी अवकाश आ जाने व फिर अपीलांट ने अपील की तैयारी की व वांछित तमाम दस्तावेज इकठ्ठे कर आज दिनांक 29.10.2020 को तुरन्त अपील पेश की जा रही है जिसे न्याय हित में अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु आवेदन पेश करने का कथन हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible] पर निर्णय किया जाना उचित है।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अ[illegible]सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलांट ज[illegible]प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकान देशवाल पोश कोड 9192 के कार्यरत रहा था तथा अपीलांट ने सदैव पूर्ण निष्ठा, ई[illegible] से प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार उचित मूल्य दकान [illegible] संचालन करता रहा [illegible] जिससे तथाकथित दुर्भावनापूर्वक की गयी मिथ्या शिकायत से पूर्व किसी भी उपभोक्ता/राशन कार्डधारी को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

शिकायत नहीं रही थी व नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा है। कालान्तर में मिथ्या शिकायत होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच करना बताया जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें अपीलांट पर यह आक्षेप लगाया कि उसने कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन से वितरण नहीं कर ओ.टी.पी. से वितरण करने के निर्देश होते हुए भी दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक कुल वितरण का 98.59 प्रतिशत वितरण बिना ओ.टी.पी. से करना जांच रिपोर्ट में पाया गया तथा 10461 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग करने का आक्षेप लगाया तथा 12 राशन कार्ड गेहूँ के जब्त करना बताया जिसमें गेहूँ प्राप्ति का विवरण दर्ज नहीं है व उपभोक्ता ने गेहूँ मिलने से इन्कार करना बताया तथा केरोसीन के 10 राशनकार्ड जब्त करना बताया जिन पर ऑन लाईन ट्रांजेक्शन किया होना लेकिन उपभोक्ताओं ने केरोसीन प्राप्ति से इन्कार करना बताया व राशन कार्ड में ऐन्ट्री भी नहीं करना बताया तथा अप्रेल 2020 में बिना ओ.टी.पी. के ट्रांजेक्शन कर गेहूँ उपभोक्ताओं को नहीं देकर दुरूपयोग करने का आक्षेप लगाया तथा फर्जी रजिस्टर तैयार करने का भी आक्षेप लगाया। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 05.06.2020 को अपीलांट के पक्ष में जारी अंतरिम आदेश की पालना में रसद अधिकारी द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.06.2020 को जारी किया जिसमें आक्षेप लगाया कि अपीलांट/उचित मूल्य दुकानदार ने स्वंय के राशनकार्ड एक से अधिक बनाकर खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का दुरूपयोग कर अनियमितता बरतते हुए गेहूँ का गबन किया जाकर राज्य सरकार की महत्वाकांशी योजना के प्रति गैर जिम्मेदारान कृत्य किया है।

3(1)—उपर्युक्त कथित जांच, नोटिसो के संबंध में अपीलांट/प्रार्थी/उचित मूल्य दुकानदार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उस पर लगाये गये सभी आक्षेप सरासर गलत, बनावटी, झुठे है तथा राजनेतिक द्वेषतावश उसे नाजायज तंग परेशान करने की बदनियती से सलाह मशवरा करके मिथ्या आक्षेप लगाये गये है जबकि इस कोरोना महामारी के चलते उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय निर्देशानुसार ही राशन सामग्री का वितरण किया है कहीं भी ओ.टी.पी. या नोन ओ.टी.पी. का अलग अलग प्रतिशत में वितरण करने का उल्लेख नहीं है बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन से दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक 232 व दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक 734 उपभोक्ताओं को नियमानुसार वितरण किया गया, कथित शिकायतकर्ताओं ने दिनांक 21.03.2020 से पहले ही राशन सामग्री बायोमेट्रिक सिस्टम से प्राप्त कर ली थी तथा शपथ पत्र पेश कर नियमानुसार सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है अपीलांट द्वारा मार्च से नियमानुसार वितरण किया गया, वक्त जांच तथाकथित 12 राशनकार्डो में से कुछ ने स्वंय के अंगुठे बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् लेकर गये थे, जिनका विवरण में जवाब में दर्ज किया, अपीलांट ने कोरोना महामारी के कारण विभाग के निर्देशानुसार सामग्री वितरण की थी, माह अप्रेल व मई में खाद्य सामग्री का वितरण सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी की देखरेख में किया गया था जिनके शपथ पत्र भी पेश किये गये तथा जांच अधिकारी ने करीब 250 उपभोक्तओं से स्वतंत्र रूप से पूछताछ की जिन्होने वितरण नियमानुसार सही करना बताया व समय पर सामग्री प्राप्त करने के राशनकार्ड धारियों के हस्ताक्षर भी है व जांच अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक ने भी अपनी जांच में अपीलांट पर लगाये आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये तथा अपीलांट/उचित मूल्य दुकानदार पर लगाये आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये तथा अपीलांट/उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता करना नहीं पाया गया। प्रकरण हाजा में दो बार जांच करवाई गयी व किसी भी जांच में अपीलांट द्वारा अनियमितता करना नहीं पाया गया लेकिन येन केन प्रकारेण अपीलांट को दोषी ठहराने के लिए बार बार मिथ्या शिकायत गांव के एक नाजायज गुट द्वारा करके व रसद विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों पर दबाव बना कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाने के लिए बार [illegible] करवाई तथा पूर्व जांच अधिकारी श्री योगेश चौधरी ने भी अपनी समग्र जांच रिपोर्ट [illegible] द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता करना नहीं पाया गया। इसके बावजूद जिला [illegible] अधिकारी ने बिना विधिक आवश्यकता के पुनः श्री देवाराम सारण व [illegible] उसमें भी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता करना [illegible] प्रकार अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता करना या किसी भी शर्त का उल्लंघन करना साबित नहीं होते हुए भी जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर,नागौर

अधिकारी ने केवल मात्र राजनैतिक दबाव के चलते एक समूह विशेष को खुश करने के लिए, बिना आधार के अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया।

3(2)—अपीलांट की जिला रसद अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं करने व पूरी तरह से एक समूह विशेष के अनुचित दबाव व प्रभाव में होने के कारण व न्याय नहीं मिलने के कारण मजबूर होकर अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 5523/2020 पेश की व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसमें अंतरिम आदेश भी पारित किया। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट को दोषी ठहराने के लिए हर तरह के गैर कानूनी हथकण्डे अपनाये, मिथ्या जांच रिपोर्ट तैयार की थी जबकि अपीलांट ने जांच अधिकारी के समक्ष किसी तरह से फर्जी रजिस्टर तैयार करके पेश नहीं किया था, अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी को यह भी निवेदन किया कि राशन डीलर अर्जुनराम का राशन कार्ड नम्बर 008309700084 है व राशन कार्ड नं. 008309700113 अपीलांट के पुत्र विमलेश के नाम से है जो मेरे से अलग रहता है तथाकथित राशन कार्ड नं. 008309700102 जो अर्जुनराम पुत्र पाबुराम के नाम बने होने की जानकारी मुझे अब हुई है उक्त तथाकथित राशनकार्ड से मेरा कोई संबंध नहीं है मैने इस तरह का राशन कार्ड बनाने हेतु कभी कोई आवेदन नहीं किया था न राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग ही किया है इस संबंध में लगाये आरोप मिथ्या व मनगंढत है तथा कानाराम के नाम के राशन कार्ड नं. 008309700731 बने होने की जानकारी मुझे भी अब हुई है उसको कभी उपयोग में नहीं लिया गया, कथित मुकदमा गलत दर्ज करवाया गया है, दिनांक 17.05.2020 को जांच करवाई तो उक्त दिनांक से पहले ही निलम्बन चार्जशीट अटेचमेंट कैसे कर दिया? इस प्रकार अपीलांट के साथ धोखा किया है उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया सारी कार्यवाही संदेहस्पद है तथा प्रवर्तन निरीक्षक देवाराम सारण व रामअवतार पूनियां की जांच रिपोर्ट छुपा कर मनमर्जी से मिथ्या कार्यवाही राजनैतिक दबाव के कारण की गयी है इस कारण कार्यवाही खारिज कर अपीलांट का अनुज्ञापत्र निलम्बन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3(3)—अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मनमर्जी से गलत रूप से प्राधिकार पत्र निरस्त करने व डीलर द्वारा जमा करवाई गयी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 26.06.2020 को अपीलांट/डीलर को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया, जिस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

3(4)—निर्णय/ आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों, तथ्यों, परिस्थितियों के विपरीत पारित किया होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त/ संशोधित किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध में डीलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डीलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए भी इन सभी को नजर अन्दाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है जो विधि सम्मत व पारदर्शितापूर्ण नहीं होने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नहीं है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(5)—अपीलांट/ डीलर ने किसी प्रकार की कोई गलती या अनियमितता नहीं की है प्रकरण हाजा में दो बार अलग अलग प्रवर्तन निरीक्षकों से जांच करवाई जिसमें उन्होने सैंकडों लोगो से पूछताछ की व सारे हालात देखे मगर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी न कोई आक्षेप साबित हुऐ, जिन जांच अधिकारियों [illegible] रिपोर्ट को नहीं मान कर उनके विरूद्ध बिना आक्षेप प्रमाणित हुऐ ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

3(6)—अधिनस्थ जिला रसद [illegible] निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपीलांट से राजनैतिक अदावत रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के समूह विशेष को खुश करने के लिए उनके अनुचित दबाव, प्रभाव में आकर व मिलीभगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

नागौर (राजस्थान)
कलक्टर,नागौर

करके अपीलांट के विरूद्ध सारी विधि विरूद्ध कार्यवाही कर अनुचित निर्णय पारित किया है जबकि रसद विभाग के अधिकारियों ने ही जांच की जिसमें अपराध/आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये गये थे तो रसद अधिकारी नागौर को ऐसा निर्णय करने का कोई विधिक अधिकार भी नहीं था न है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकार/पीडित के साथ न्याय किया जाना तो आवश्यक है मगर न्याय करना दिखना भी चाहिए, जबकि इस प्रकरण में पीडित अपीलांट के साथ शुरू से ही अन्याय किया गया है व किसी भी प्रकार से विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्याय करना कहीं भी परीलक्षित नही हो रहा है क्योकि सैंकडो ग्रामीणों, यहां तक सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों ने अपने सशपथ बयानों से यह साबित किया है कि अपीलांट ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है तो इसके बावजूद कुछ समूह विशेष के लोगो की झुठी शिकायत जो प्रमाणित नहीं हुई है उसे तवज्जा देकर प्राधिकार पत्र निरस्त करना कतई न्याय संगत नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(7)—जिला रसद अधिकारी नागौर ने स्वतंत्र गवाहान व सरकारी कार्मिकों ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देशवाल के राशन डीलर अर्जुनराम द्वारा कोरोना महामारी के दौरान उपयोग व जरूरतमंदो को सही राशन सामग्री वितरण व उपलब्ध करवाई है व सरकारी अध्यापक बाबुलाल व नाथुराम की मौजूदगी में राशन सामग्री का वितरण किया है तथा उक्त सरकारी कर्मचारियों ने इस बाबत शपथ पत्र पेश किये है तथा मौके पर किसी भी ग्रामवासी ने उक्त कार्मिकों के समक्ष कोई शिकायत नहीं की तथा दिनांक 07.05.2020 को श्री योगेश चौधरी जांच के लिए तब भी किसी ग्रामवासी ने अनियमितता की शिकायत नहीं की, अर्जुनराम डीलर निर्दोष है उसे राजनैतिक द्वेषता से झुठा फसाया जा रहा है। उपरोक्त आशय के सैंकडों शपथ पत्र पेश होने व सरकारी कर्मचारियों के शपथ पत्र पेश होने व उनकी उपस्थिति में गेहूं व केरोसीन का वितरण होना स्पष्ट हो गया है इससे ज्यादा अपीलांट अपनी निर्दोषिता के संबंध में और क्या सबूत पेश कर सकता है इसके बावजूद इन सभी को नजर अन्दाज करते हुए अनियमितता मानकर निर्णय जेर अपील पारित करने में कानूनी व वाकियाती भूल की है।

3(8)—अपीलांट के विरूद्ध फर्जी राशन कार्ड बनाकर उपयोग करने का भी मिथ्या आक्षेप लगाया है अपीलांट ने कथित राशनकार्ड बनाने के लिए न तो कोई आवेदन किया न ही ऐसे किसी राशनकार्ड का उपयोगं ही किया है इस तरह तो कोई भी व्यक्ति किसी को फसाने के लिए उसके नाम से कोई राशनकार्ड बना कर फिर उस निर्दोष के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है जो कतई न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार से उक्त कथित राशनकार्ड का उपयोग करना साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा गेहूं व केरोसीन कथित उपभोक्ताओं को नहीं देने का अंकन व आक्षेप भी मिथ्या है इसके संबंध में खुलासा तथ्यों का जवाब व प्रतिवेदन पत्रावली में पेश किये हुए है। अपीलांट द्वारा दिनांक 24.06.2020 को प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की प्रति शामिल पत्रावली है जिसका अवलोकन करने का कष्ट करावे जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी मगर विद्वान अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर ने उसको बिल्कुल देखा भी नहीं है व निर्णय एकदम गलत पारित किया है।

3(9)—अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपो मे से एक भी आक्षेप प्रमाणित नहीं हुआ है जिला रसद अधिकारी के जांच अधिकारियों ने भी आक्षेप प्रमाणित नहीं माने है व पत्रावली के सारे वास्तविक तथ्य स्पष्ट किये हुए है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी प्रथम दृष्ट्या मामला अपीलांट के पक्ष में माना है। अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी [illegible] का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार [illegible] निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

3(10)—अपीलांट के विरूद्ध किसी भी स्वतंत्र व निष्पक्ष उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है तथाकथित शिकायतकर्ता अपीलांट के परिवार से अदावत रखने के कारण मिथ्या शिकायत कर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

दी और जांच में प्रमाणित भी नहीं पाई गयी इसके बावजूद निष्पक्ष जांच किये बिना, स्वतंत्र उपभोक्ताओं के बयान लिये बिना सरसरी तौर पर एक निर्णय पारित कर दिया है जो विधिक प्रक्रिया के जरिये पारित किया हुआ नहीं है इस कारण विधि सम्मत नहीं है निरस्त होने योग्य है।

3(11)—अपीलांट/डीलर ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय–समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है इसके बावजूद इस दौर में डीलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डीलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है डीलर के विरूद्ध कथित परिवाद ने तथाकथित शिकायत गलत आधारों पर दर्ज करवा कर नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है व येन केन प्रकारेण प्राधिकार पत्र निरस्त करवा कर अपीलांट को बेरोजगार कर परेशान करने की बदनियती से मिथ्या शिकायत पेश की गई है तथा जिला रसद अधिकारी नागौर ने डीलर को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी नहीं दिया गया है निर्णय में अनुपस्थित बताया गया है एकतरफा निर्णय पारित किया है व जो तथ्य पत्रावली पर आये है उनको नजर अन्दाज किया गया है ऐसी स्थिति में निर्णय में आवश्यक संशोधन करते हुए रिव्यु के तहत् पत्रावली पुनः रिओपन की जाना आवश्यक व विधि सम्मत है।

3(12)—अप्रार्थी/डीलर बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालना पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अप्रार्थी/ डीलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है अप्रार्थी/ डीलर ने रसद अधिकारी नागौर के मौखिक आदेश व कोविड–19 के चलते सरकारी आदेशो की हमेशा पालना की है ऐसी स्थिति में कोविड–19 के चलते इस तरह का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है। गांव के स्वतंत्र उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों के तथ्यों को नजर अन्दाज किया है उपर्युक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता/ सरपंच या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत् बने नियमों का उल्लंघन किया हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनों की पालना करते हुऐ विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था। अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा है, इस कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौर में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डर टेंकिग/ शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारों पर एकतरफा कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/ परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 66/2020 राजस्थान सरकार बनाम अर्जुनराम में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 26.06.2020 को अपास्त/ संशोधित/ निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने की आज्ञा/आदेश/व्यवस्था करने का निवेदन किया है।

4—प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध ऑन[illegible] शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच हेतु श्री योगेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक को नि[illegible] किया गया तथा विस्तृत जांच श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री रामावता[illegible] प्रवर्तन निरी[illegible] को दिनांक 09.05.2020 को आदेश जारी कर विस्तृत जांच कराई गई। [illegible] प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 17.05.2020 को प्रवर्तन [illegible]को के साथ अपीलान्ट उ.मू.दु. की मौके पर पहुंचकर जांच की गई। अपीलान्ट को बार–बार कारण बताओं नोटिस जारी किये। तत्पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता के माध्यम से पत्र क्रमांक रसद/2020/1061 दिनांक 12.06.2020 को अपीलान्ट के नाम पूर्व जारी समस्त आदेश 1047 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 1055 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 1058 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 945 दिनांक 04.06.2020 तथा दिनांक 17.05.2020 की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशानुसार श्री अर्जुनराम डीलर को दिनांक 12.06.2020 को उपलब्ध करवाई गई। अपीलान्ट ने दिनांक 24.06.2020 को अधिनस्थ न्यायालय उपस्थित होकर नोटिस का जबाब पेश किया।

4(1)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–ऑनलाईन प्राप्त शिकायत में वर्णित तथ्यों के अनुसार आप द्वारा स्वंय के राशनकार्ड एक से अधिक बनाकर खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का दुरूपयोग कर अनियमितता बरतते हुए गेहूँ का गबन किया जाकर राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना के प्रति गैर जिम्मेदाराना का कृत्य किया है। उक्त संबंध में पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं अर्जुनराम पुत्र स्वरूपराम के नाम प्रथम राशनकार्ड संख्या 008309700084 ए.पी.एल. श्रेणी में 6 युनिट जिनमें अर्जुनराम कासनिया, रामेश्वरी देवी, प्रदीप, कमलेश, उशा, प्रियंका जिसमें अर्जुनराम का आधार नं. 407727648773, रामेश्वरी के आधार नं.701705452238, कमलेश के आधार नं. 213948047769, प्रदीप के आधार नं. 693048753743 जिसमें 21.04.2020 तक नियमित राशन सामग्री परिवार के सदस्यो द्वारा प्राप्त की गई है। दूसरा राशनकार्ड नं. 008309700113 जो कि विमलेश पुत्र अर्जुनराम के नाम से ए.पी.एल. श्रेणी का राशनकार्ड है जिसमें विमलेश व यशोदा का नाम अंकित है। जिसमें विमलेश का आधार नं. 398207396794 है। यशोदा का आधार सीड नही है। इस पर राशन सामग्री 24.06.2020 तक श्री विमलेश द्वारा प्राप्त की गई है। तीसरा राशनकार्ड नं. 008309700102 बी.पी.एल. का राशनकार्ड है जो कि अर्जुनराम पुत्र पाबुराम ग्राम देशवाल के नाम से बनाया गया है। जिसमें स्वयं अर्जुनराम पुत्र पाबुराम, रामेश्वरी पुत्री ओमाराम, विमलेश पुत्र अर्जुनराम, प्रदीप पुत्र अर्जुनराम, कमलेश पुत्र अर्जुनराम का नाम दर्ज है। तथा राशन सामग्री 22.04.2020 तक विमलेश के द्वारा प्राप्त की गई है। इस राशनकार्ड में डीलर द्वारा आधार क्रमांक XXXXXXXX1337 किसी अन्य का सीड किया गया है। इस राशनकार्ड एवं श्री अर्जुनराम के अन्य राशनकार्ड क्रमांक 008309700084 में दोनो राशनकार्डो पर एक ही फोटो दर्ज है जो स्वयं अर्जुनराम की है तथा श्री अर्जुनराम उसकी पत्नि रामेश्वरी, पुत्र प्रदीप एवं पुत्र कमलेश का नाम दोनो कार्डो में दर्ज है। इस प्रकार श्री अर्जुनराम द्वारा दुर्भावना पूर्वक असत्य तथ्य वर्णित कर ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. दोनो श्रेणीओ में राशनकार्ड बनाये गये है तथा नियमित रूप से राशन कार्ड नं. 008309700102 से राशन सामग्री गेहूँ 650 किलोग्राम व केरोसीन 62.5 लीटर प्राप्त की गई साथ ही स्वयं के राशन कार्ड से भी नियमित सामग्री प्राप्त की गई। श्री अर्जुनराम द्वारा अपने जवाब मे 008309700102 बी.पी.एल. राशन कार्ड के संबंध में किसी भी जानकारी से इन्कार किया है परन्तु उसके द्वारा यह नही बताया गया कि इन दोनो राशनकार्डो में अर्जुनराम का फोटो क्यो लगा हुआ है तथा उनकी पत्नि रामेश्वरी, पुत्र विमलेश, कमलेश व प्रदीप का नाम क्यों अंकित है तथा आधार नं. XXXXXXXX1337 किसका है तथा नियमित रूप से राशन सामग्री किसके द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार यह आरोप स्पष्ट रूप से अपीलान्ट श्री अर्जुनराम के विरूद्ध सही पाया गया है तथा प्रमाणित होता है। राशन कार्ड संख्या 008309700102 बी.पी.एल. श्रेणी का बनाकर अर्जुनराम द्वारा ऑन लाईन रिकार्ड अनुसार 14.10.2016 से 22.04.2020 तक गेहूँ 825 किलोग्राम, केरोसीन 82.5 लीटर व चीनी 25 किलोग्राम का दुरूपयोग किया गया है। राशनकार्ड नं. 008309700113 श्री विमलेश पुत्र श्री अर्जुनराम निवासी देशवाल के नाम से है जो कि ए.पी.एल. श्रेणी मे बनाया गया है जिसमें विमलेश स्वयं एवं उसकी पत्नि यशोदा का नाम दर्ज है तथा विमलेश का आधार XXXXXXXX6794 सीड है। जिस पर 14.06.2020 तक राशन सामग्री प्राप्त की [illegible] विमलेश का नाम श्री अर्जुनराम द्वारा असत्य बनाये गये बी.पी.एल. राशन कार्ड नं. [illegible] भी दर्ज है। इस प्रकार विमलेश दोनो राशनकार्डो में गलत रूप से [illegible] राशन [illegible] का दुरूपयोग किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह कथन है कि विमलेश उसका पुत्र है और वह स्वयं का राशनकार्ड बना सकता है और यह कही नहीं लिखा है कि अपीलान्ट का पुत्र खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री विमलेश द्वारा दो राशनकार्डो मे नाम रखा गया है तथा श्री अर्जुनराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट द्वारा श्री विमलेश के नाम से भी राशन सामग्री प्राप्त की है इस प्रकार यह आरोप उसके विरूद्ध प्रमाणित होता है।

4(2)—राशनकार्ड संख्या 008309700102 बी.पी.एल. श्री अर्जुनराम पुत्र पाबुराम के नाम से शुरू से ही राशन सामग्री नियमित रूप से आधार नं. XXXXXXXX1337 सीड कर राशन सामग्री दुरूपयोग किया जा रहा है। इस कार्ड की राशन सामग्री अपीलान्ट किसको दे रहा है उसका जवाब नही दिया है तथा दोनो राशनकार्डो में अर्जुनराम का फोटो है। यह राशनकार्ड वर्तमान मे निष्क्रिय है इस राशन कार्ड को जानबुझ कर समर्पण/डिलिट कराया गया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि इस राशन कार्ड पर जांच मे दुरूपयोग किया जाने पर एवं एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद संबंधित द्वारा इस राशनकार्ड को समर्पण/डिलिट करवाया गया है। इससे अपीलान्ट की दुर्भावना प्रकट होती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्वंय के राशन कार्ड एक से अधिक बनाकर खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का दुरूपयोग कर अनियमितता बरतते हुए गेहूँ का गबन करने का आरोप एवं राशन कार्ड संख्या 008309700102, 008309700084, 008309700113 में फर्जी ऑनलाईन ट्राजेक्शन कर राशन सामग्री दुरूपयोग करने का आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित है।

4(3)—अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आरोप दिनांक 20.03.2020 से 31.03.2020 तक माह मार्च मे राशन सामग्री के कुल वितरण मे से 98.59 प्रतिशत राशन सामग्री का वितरण बिना ओ.टी.पी. के प्राप्त किया गया, जो गंभीर अनियमितता है। नियमानुसार पी.ओ.एस. के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात उपभोक्ता स्वयं को राशन सामग्री वितरण किया जाना है परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण सभी उपभोक्ताओं के उनके मोबाईल पर ओ.टी.पी. नं. प्राप्त होने के पश्चात ओ.टी.पी. नं. पोस मे दर्ज करना अपेक्षित था तथा अपवाद स्वरूप कुछ मामलो में जिनका ओ.टी.पी. प्राप्त नही हुआ था उन उपभोक्ताओ का बिक्री रजिस्टर मे इन्द्राज कर वितरण किया जाना था परन्तु अपीलान्ट द्वारा 10461 किग्रा गेहूँ का वितरण बिना ओ.टी.पी. दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा वितरण रजिस्टर में बिना ओ.टी.पी. देने का कोई कारण दर्ज नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब मे यह तथ्य अंकित किया कि उपभोक्ता मोबाईल लेकर नही आये परन्तु इसका कोई कारण अंकित नही किया गया जबकि खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 मे निर्देशित किया गया है कि यदि लाभार्थी तय समय सीमा में ओ.टी.पी. उपलब्ध नही करवा पाता है तो गेहूँ का वितरण पोस मशीन से किया जायेगा व ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टी एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी जिसमें ओ.टी.पी. प्राप्त नही होने व मोबाईल नं. रजिस्टर्ड नही होने व लाभार्थी के पास मोबाईल नही होने के कारणो का अंकन रजिस्टर में किया जायेगा। लेकिन अपीलान्ट द्वारा विक्रय रजिस्टर में इन कारणो को अंकित नही किया है व मनमाने रूप से उपभोक्ता द्वारा गेहूँ प्राप्त करते समय ओ.टी.पी. उपलब्ध नही करवाने संबंधी तथ्य अंकित किया है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। मामले में यह गंभीर अनियमितता पायी गयी है कि अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में कुल वितरण का 98.59 प्रतिशत वितरण बिना ओ.टी.पी. दर्ज किये ही कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रत्युतर में 451 उपभोक्ताओ के शपथ पत्र/गवाही शपथ पत्र पेश किये, परन्तु यह शपथ पत्र किसी भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नही है एवं प्रस्तुत शपथ पत्रो में यह तथ्य भी अंकित नही कि उनके द्वारा ओ.टी.पी. नं. बताये बिना गेहूँ कब व कितना प्राप्त किया तथा उनके पास ओ.टी.पी. आया अथवा नही एवं मार्च 2020 में उनके द्वारा डीलर से बिना ओ.टी.पी. के गेहूँ क्यो प्राप्त किया गया। इन सभी शपथ पत्रों में प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक की माह मार्च 2020 में की गई जांच तथा जांच दल को बताये गये तथ्यो का उल्लेख है परन्तु मार्च में वितरित किये गेहूँ की प्राप्ति संबंधी कोई उल्लेख नही है, जिससे यह शपथ पत्र अप्रासंगिक है तथा माह मार्च 2020 में अपीलान्ट द्वारा कुल गेहूँ [illegible] का 98.59 प्रतिशत (10461 किग्रा) गेहूँ का वितरण बिना ओ.टी.पी. नं. दर्ज कर वितरण के [illegible] में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी शपथ [illegible] की भाषा एक है जिसमें सामान्य रूप से अपीलान्ट के वितरण को सही बताया गया है परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध माह मार्च 2020 में बिना ओ.टी.पी. दर्ज किये गये वितरण को सही ठहराने हेतु प्रमाणित साक्ष्य नही है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में भी उक्त आरोप के खण्डन में कोई ठोस कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

4(4)—अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आरोप 12 राशनकार्डो मे गेहूँ वितरण की मात्रा व दिनांक अंकित नही करना है तथा अधिकांश राशनकार्डो में ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर केरोसीन वितरण करना दिखाया गया है जबकि इनके कार्डधारको द्वारा उक्त कार्डो पर ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ व करोसीन प्राप्त नही करना बताया है। उपभोक्ता श्री सीताराम राशनकार्ड नं. 200003231705, श्री जगदीश राशनकार्ड नं. 008309700252, श्री भूराराम राशनकार्ड नं.008309700456, श्री रामपाल राशनकार्ड नं. 008309700275, श्री संतोष राशनकार्ड नं.008309700147, श्री मंगलाराम राशनकार्ड नं. 008309700292, श्री भुगानाराम राशनकार्ड नं.008309700103, श्री सोहन लाल राशनकार्ड नं. 008309700142, श्री सुजानसिंह राशनकार्ड न. 008309700688, श्री नाथूराम राशनकार्ड नं. 200003960410, श्री सांवतराम राशनकार्ड नं. 008309700270, श्री मांगीलाल राशनकार्ड नं. 008309700201, श्री हरदयाल राशनकार्ड नम्बर 008309700731,श्री साउराम राशनकार्ड नं.008309700372, श्री सीयाराम राशनकार्ड नं.008309700325, श्री राजेन्द्र चौधरी राशनकार्ड नं. 008309700559, श्री रमेश राशनकार्ड नं. 008309700409, श्री रामसुख राशनकार्ड नं. 008309700358, श्री तेजाराम राशनकार्ड नं.008309700652, श्री रतनलाल राशनकार्ड नं. 008309700759, श्री महेन्द्र राशनकार्ड नं. 008309700350 द्वारा अपने बयानो में माह मार्च, अप्रेल व मई 2020 में अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन वितरण कर दर्शाये गये गेहूँ व केरोसीन की मात्रा को प्राप्त नही करने तथा उनके राशनकार्डो में उक्त राशन सामग्री का इन्द्राज नही बताया है। राशनकार्डो में इन्द्राज नही करना प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। अपीलान्ट द्वारा राशनकार्डो में इन्द्राज नही करने का कोई भी कारण अंकित नही किया है इस प्रकार यह आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित होता है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में कुछ राशनकार्ड धारको यथा भुगानाराम, मांगीलाल, सोहनलाल, सुजानसिंह, संतोष, मंगलाराम, जगदीश, रामपाल, सांवताराम, सीताराम, नाथुराम, भुराराम, पन्नेसिंह, महेन्द्र, तेजाराम, रतनलाल, साउराम, रमेश, सीकूराम, सीयाराम, राजेन्द्र, नेहराराम, रामसुख आदि का विवरण अंकित करते हुए बताया है कि इन कार्डधारको के कार्ड पर कार्डधारक स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य को राशन सामग्री दी है परन्तु इन कार्डधारक उपभोक्ताओ के स्वयं के द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करने का कोई भी प्रमाण स्वरूप उनके बयान अथवा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है, जबकि इन उपभोक्ताओ द्वारा दौराने जांच अपने बयानो में अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ व केरोसीन को प्राप्त करने से इंकार किया है तथा इनके कार्ड में भी इन्द्राज नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं के स्पष्ट बयानो के विपरित डीलर द्वारा लिखित तत्संबंधी तथ्य विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा असत्य रूप से वितरण दिखाया गया है जबकि वास्तविक रूप से वितरण नही किया गया है। इस प्रकार यह आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित होता है। अपीलान्ट के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है एवं अपीलान्ट द्वारा उसके विरूद्ध लगाये गये उपर्युक्तानुसार आरोपों के संबंध में हस्तगत अपील में भी ऐसे कोई ठोस एवं प्रमाणित कथन एवं साक्ष्य पेश नहीं की है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

5—वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध ऑनलाईन शिकायत प्राप्त होने पर, जांच हेतु श्री योगेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देशित किया गया तथा विस्तृत जांच श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनियां प्रवर्तन निरीक्षक को दिनांक 09.05.2020 को आदेश जारी कर विस्तृत जांच कराई गई। इसी मध्य खाद्य विभाग से नि[illegible] होने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 17.05.2020 को प्रवर्तन निरीक्षको [illegible] उ.मू.दु. की मौके पर पहुंचकर जांच की गई। अपीलान्ट को [illegible] कारण बत[illegible] नोटिस जारी किये। तत्पश्चात श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता के [illegible] पत्र क्रमांक रसद/2020/1061 दिनांक 12.06.2020 को अपीलान्ट के नाम पूर्व जारी समस्त आदेश [illegible]47 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 1055 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 1058 दिनांक 11.06.2020, नोटिस क्रमांक 945 दिनांक 04.

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर,नागौर

06.2020 तथा दिनांक 17.05.2020 की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशानुसार श्री अर्जुनराम डीलर को दिनांक 12.06.2020 को उपलब्ध करवाई गई। अपीलान्ट ने दिनांक 24.06.2020 को अधिनस्थ न्यायालय उपस्थित होकर नोटिस का जबाब पेश किया।

5(1)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि–ऑनलाईन प्राप्त शिकायत में वर्णित तथ्यों के अनुसार आप द्वारा स्वंय के राशनकार्ड एक से अधिक बनाकर खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का दुरूपयोग कर अनियमितता बरतते हुए गेहूँ का गबन किया जाकर राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना के प्रति गैर जिम्मेदाराना का कृत्य किया है। उक्त संबंध में पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं अर्जुनराम पुत्र स्वरूपराम के नाम प्रथम राशनकार्ड संख्या 008309700084 ए.पी.एल. श्रेणी में 6 युनिट जिनमें अर्जुनराम कासनिया, रामेश्वरी देवी, प्रदीप, कमलेश, उशा, प्रियंका जिसमें अर्जुनराम का आधार नं. 407727648773, रामेश्वरी के आधार नं.701705452238, कमलेश के आधार नं. 213948047769, प्रदीप के आधार नं. 693048753743 जिसमें 21.04.2020 तक नियमित राशन सामग्री परिवार के सदस्यो द्वारा प्राप्त की गई है। दूसरा राशनकार्ड नं. 008309700113 जो कि विमलेश पुत्र अर्जुनराम के नाम से ए.पी.एल. श्रेणी का राशनकार्ड है जिसमें विमलेश व यशोदा का नाम अंकित है। जिसमें विमलेश का आधार नं. 398207396794 है। यशोदा का आधार सीड नही है। इस पर राशन सामग्री 24.06.2020 तक श्री विमलेश द्वारा प्राप्त की गई है। तीसरा राशनकार्ड नं. 008309700102 बी.पी.एल. का राशनकार्ड है जो कि अर्जुनराम पुत्र पाबुराम ग्राम देशवाल के नाम से बनाया गया है। जिसमें स्वयं अर्जुनराम पुत्र पाबुराम, रामेश्वरी पुत्री ओमाराम, विमलेश पुत्र अर्जुनराम, प्रदीप पुत्र अर्जुनराम, कमलेश पुत्र अर्जुनराम का नाम दर्ज है एवं राशन सामग्री 22.04.2020 तक विमलेश के द्वारा प्राप्त की गई है। इस राशनकार्ड में डीलर द्वारा आधार क्रमांक XXXXXXXX1337 किसी अन्य का सीड किया गया है। इस राशनकार्ड एवं श्री अर्जुनराम के अन्य राशनकार्ड क्रमांक 008309700084 में दोनो राशनकार्डो पर एक ही फोटो दर्ज है जो स्वयं अर्जुनराम की है तथा श्री अर्जुनराम उसकी पत्नि रामेश्वरी, पुत्र प्रदीप एवं पुत्र कमलेश का नाम दोनो कार्डो में दर्ज है। इस प्रकार श्री अर्जुनराम द्वारा ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. दोनो श्रेणीओ में राशनकार्ड बनाये गये है तथा नियमित रूप से राशन कार्ड नं. 008309700102 से राशन सामग्री गेहूँ 650 किलोग्राम व केरोसीन 62.5 लीटर प्राप्त की गई साथ ही स्वयं के राशन कार्ड से भी नियमित सामग्री प्राप्त की गई। श्री अर्जुनराम द्वारा अपने जवाब मे 008309700102 बी.पी. एल. राशन कार्ड के संबंध में किसी भी जानकारी से इन्कार किया है परन्तु उसके द्वारा यह नही बताया गया कि इन दोनो राशनकार्डो में अर्जुनराम का फोटो क्यो लगा हुआ है तथा उनकी पत्नि रामेश्वरी, पुत्र विमलेश, कमलेश व प्रदीप का नाम क्यों अंकित है तथा आधार नं. XXXXXXXX1337 किसका है तथा नियमित रूप से राशन सामग्री किसके द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार यह आरोप स्पष्ट रूप से अपीलान्ट श्री अर्जुनराम के विरूद्ध सही पाया गया है तथा प्रमाणित होता है। राशन कार्ड संख्या 008309700102 बी.पी.एल. श्रेणी का बनाकर अर्जुनराम द्वारा ऑन लाईन रिकार्ड अनुसार 14.10.2016 से 22.04.2020 तक गेहूँ 825 किलोग्राम, केरोसीन 82.5 लीटर व चीनी 25 किलोग्राम का दुरूपयोग किया गया है। राशनकार्ड नं. 008309700113 श्री विमलेश पुत्र श्री अर्जुनराम के नाम से है जो कि ए.पी.एल. श्रेणी मे बनाया गया है जिसमें विमलेश स्वयं एवं उसकी पत्नि यशोदा का नाम दर्ज है तथा विमलेश का आधार XXXXXXXX6794 सीड है। जिस पर 14.06.2020 तक राशन सामग्री प्राप्त की गई जबकि विमलेश का नाम श्री अर्जुनराम द्वारा असत्य बनाये गये बी.पी.एल. राशन कार्ड नं. 008309700102 मे भी दर्ज है। इस प्रकार विमलेश दोनो राशनकार्डो में गलत रूप से दर्ज है व राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह कथन है कि विमलेश उसका पुत्र है और वह स्वयं का राशनकार्ड बना सकता है और यह कही नही लिखा है कि अपीलान्ट का पुत्र खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार श्री विमलेश द्वारा दो राशनकार्डो मे नाम रखा गया है तथा श्री अर्जुनराम अपीलान्ट द्वारा श्री विमलेश के नाम से भी राशन सामग्री प्राप्त की है। इस प्रकार यह आरोप उसके विरूद्ध प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

5(2)—राशनकार्ड संख्या 008309700102 बी.पी.एल. श्री अर्जुनराम पुत्र पाबुराम के नाम से शुरू से ही राशन सामग्री नियमित रूप से आधार नं. XXXXXXXX1337 सीड कर राशन सामग्री दुरूपयोग किया जा रहा है। इस कार्ड की राशन सामग्री अपीलान्ट किसको दे रहा है उसका

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

जवाब नही दिया है तथा दोनो राशनकार्डो में अर्जुनराम का फोटो है। यह राशनकार्ड वर्तमान मे निष्क्रिय है इस राशन कार्ड को जानबुझ कर समर्पण/डिलिट कराया गया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि इस राशन कार्ड पर जांच मे दुरूपयोग किया जाने पर एवं एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद संबंधित द्वारा इस राशनकार्ड को समर्पण/डिलिट करवाया गया है। इससे अपीलान्ट की स्पष्ट दुर्भावना जाहिर होती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्वंय के राशन कार्ड एक से अधिक बनाकर खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का दुरूपयोग कर अनियमितता बरते हुए गेहूँ का गबन करने का आरोप एवं राशन कार्ड संख्या 008309700102, 008309700084, 008309700113 में फर्जी ऑनलाईन ट्राजेक्शन कर राशन सामग्री दुरूपयोग करने का आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित है।

5(3)—अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आरोप दिनांक 20.03.2020 से 31.03.2020 तक माह मार्च मे राशन सामग्री के कुल वितरण मे से 98.59 प्रतिशत राशन सामग्री का वितरण बिना ओ.टी.पी. के प्राप्त किया गया, जो गंभीर अनियमितता है। नियमानुसार पी.ओ.एस. के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात उपभोक्ता स्वयं को राशन सामग्री वितरण किया जाना है परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण सभी उपभोक्ताओं के उनके मोबाईल पर ओ.टी.पी. नं. प्राप्त होने के पश्चात ओ.टी.पी. नं. पोस मे दर्ज करना था तथा अपवाद स्वरूप कुछ मामलो में जिनका ओ.टी.पी. प्राप्त नही हुआ था उन उपभोक्ताओ का बिक्री रजिस्टर मे इन्द्राज कर वितरण किया जाना था परन्तु अपीलान्ट द्वारा 10461 किग्रा गेहूँ का वितरण बिना ओ.टी.पी. दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा वितरण रजिस्टर में बिना ओ.टी.पी. देने का कोई कारण दर्ज नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब मे बताया है कि उपभोक्ता मोबाईल लेकर नही आये परन्तु इसका कोई कारण अंकित नही किया गया जबकि खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 मे निर्देशित किया गया है कि यदि लाभार्थी तय समय सीमा में ओ.टी.पी. उपलब्ध नही करवा पाता है तो गेहूँ का वितरण पोस मशीन से किया जायेगा व ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टी एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी जिसमें ओ.टी.पी. प्राप्त नही होने व मोबाईल नं. रजिस्टर्ड नही होने व लाभार्थी के पास मोबाईल नही होने के कारणो का अंकन रजिस्टर में किया जायेगा। लेकिन अपीलान्ट द्वारा विक्रय रजिस्टर में इन कारणो को अंकित नही किया है व मनमाने रूप से उपभोक्ता द्वारा गेहूँ प्राप्त करते समय ओ.टी.पी. उपलब्ध नही करवाने संबंधी तथ्य अंकित किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 में कुल वितरण का 98.59 प्रतिशत वितरण बिना ओ.टी.पी. दर्ज किये ही कर दिया गया है, जो एक गम्भीर अनियमितता है। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रत्युतर में 451 उपभोक्ताओ के शपथ पत्र/गवाही शपथ पत्र पेश किये, परन्तु यह शपथ पत्र किसी भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नही है एवं प्रस्तुत शपथ पत्रो में यह तथ्य भी अंकित नही कि उनके द्वारा ओ.टी.पी. नं. बताये बिना गेहूँ कब व कितना प्राप्त किया तथा उनके पास ओ.टी.पी. आया अथवा नही एवं मार्च 2020 में उनके द्वारा डीलर से बिना ओ.टी.पी. के गेहूँ क्यो प्राप्त किया गया। इन सभी शपथ पत्रों में प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक की माह मार्च 2020 में की गई जांच तथा जांच दल को बताये गये तथ्यो का उल्लेख है परन्तु मार्च में वितरित किये गेहूँ की प्राप्ति संबंधी कोई उल्लेख नही है, जिससे यह शपथ पत्र अप्रासंगिक है तथा माह मार्च 2020 में अपीलान्ट द्वारा कुल गेहूँ वितरण का 98.59 प्रतिशत (10461 किग्रा) गेहूँ का वितरण बिना ओ.टी.पी. नं. दर्ज कर वितरण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी शपथ पत्रो की भाषा एक है जिसमें सामान्य रूप से अपीलान्ट के वितरण को सही बताया गया है परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध माह मार्च 2020 में बिना ओ.टी.पी. दर्ज किये गये वितरण को सही ठहराने हेतु प्रमाणित साक्ष्य नही है और अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में भी उक्त आरोप के खण्डन में कोई ठोस कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध [illegible] आरोप प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested

5(4)—अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आरोप [illegible] राशनकार्डो मे गेहूँ वितरण की मात्रा व दिनांक अंकित नही करना है तथा अधिकांश राशनकार्डो [illegible] ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर केरोसीन वितरण करना दिखाया गया है जबकि [illegible] राशनकार्डो पर ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ व करोसीन प्राप्त नही करना बताया है। [illegible] श्री सीताराम राशनकार्ड नं. 200003231705, श्री जगदीश राशनकार्ड नं. 008309700252, श्री भूराराम राशनकार्ड नं.008309700456, श्री

कलक्टर, नागौर

रामपाल राशनकार्ड नं. 008309700275, श्री संतोष राशनकार्ड नं.008309700147, श्री मंगलाराम राशनकार्ड नं. 008309700292, श्री भुगानाराम राशनकार्ड नं.008309700103, श्री सोहनलाल राशनकार्ड नं. 008309700142, श्री सुजानसिंह राशनकार्ड न. 008309700688, श्री नाथूराम राशनकार्ड नं. 200003960410, श्री सांवतराम राशनकार्ड नं. 008309700270, श्री मांगीलाल राशनकार्ड नं. 008309700201, श्री हरदयाल राशनकार्ड नम्बर 008309700731, श्री साउराम राशनकार्ड नं.008309700372, श्री सीयाराम राशनकार्ड नं.008309700325, श्री राजेन्द्र चौधरी राशनकार्ड नं. 008309700559, श्री रमेश राशनकार्ड नं. 008309700409, श्री रामसुख राशनकार्ड नं. 008309700358, श्री तेजाराम राशनकार्ड नं.008309700652, श्री रतनलाल राशनकार्ड नं. 008309700759, श्री महेन्द्र राशनकार्ड नं. 008309700350 द्वारा अपने बयानो में माह मार्च, अप्रेल व मई 2020 में अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन वितरण कर दर्शाये गये गेहूँ व केरोसीन की मात्रा को प्राप्त नही करने तथा उनके राशनकार्डो में उक्त राशन सामग्री का इन्द्राज नही करना बताया है, जो इन्द्राज नहीं करना प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। अपीलान्ट द्वारा राशनकार्डो में इन्द्राज नही करने का कोई भी कारण अंकित नही किया है इस प्रकार यह आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में कुछ राशनकार्ड धारको यथा भुगानाराम, मांगीलाल, सोहनलाल, सुजानसिंह, संतोष, मंगलाराम, जगदीश, रामपाल, सांवताराम, सीताराम, नाथुराम, भुराराम, पन्नेसिंह, महेन्द्र, तेजाराम, रतनलाल, साउराम, रमेश, स्रीकूराम, सीयाराम, राजेन्द्र, नेहराराम, रामसुख आदि का विवरण अंकित करते हुए बताया है कि इन कार्डधारको के कार्ड पर कार्डधारक स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य को राशन सामग्री दी है परन्तु इन कार्डधारक उपभोक्ताओ के स्वयं के द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करने का कोई भी प्रमाण स्वरूप इनके बयान अथवा कोई साक्ष्य पेश की गई है, जबकि इन उपभोक्ताओ द्वारा दौराने जांच अपने बयानो में अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन दर्शाये गये गेहूँ व केरोसीन को प्राप्त करने से इंकार किया है तथा इनके कार्ड में भी इन्द्राज नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं के स्पष्ट बयानो के विपरित डीलर द्वारा लिखित तत्संबंधी तथ्य विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा असत्य रूप से वितरण दिखाया गया है जबकि वास्तविक रूप से वितरण नही किया गया है। इस प्रकार यह आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध प्रमाणित होता है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उपर्युक्त सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अधनीस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित है एवं अपीलान्ट द्वारा उसके विरूद्ध लगाये गये उपर्युक्तानुसार आरोपों के खण्डन के संबंध में हस्तगत अपील में भी ऐसे कोई ठोस एवं प्रमाणित कथन एवं साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:56 IST
Reason: SelfAttested